राजस्व अपील संख्या : 12/2025
उनवान : गीता उर्फ ओटी देवी बनाम चम्पादेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/60

अपीलाण्ट :–

गीता उर्फ ओटी देवी धर्मपत्नी श्री बाबुलाल पुत्री श्री गेटाराम जाति घाँची, निवासी खिवान्दी, हाल सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. चम्पादेवी धर्मपत्नी भेराराम
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री भेराराम
3. भरत कुमार पुत्र श्री भेराराम
4. हितेश कुमार पुत्र श्री भेराराम
5. ललिता पुत्री श्री भेराराम
6. पंकुबाई धर्मपत्नी श्री गेटाराम
7. मुकेश कुमार पुत्र श्री गेटाराम
8. रमेश कुमार पुत्र श्री गेटाराम तमाम जातिगण घांची निवासीगण खिवान्दी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 738 जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 16.10.2001 को मजमे आम स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमजद अली सैयद।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगाय 04 एवं 06 लगाय 08 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता)

दिनांकः 13.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा खिवांदी तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 738 जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 16.10.2001 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गेटाराम पुत्र मालाराम जाति घांची निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर का स्वर्गवास हो गया है। उनकी खातेदारी भूमि सरहद खिवांदी तहसील सुमेरपुर में खसरा नम्बर 92, 464 व 469 रकबा क्रमश 2.27 हैक्टेयर, 2.14 हैक्टेयर, 0.93 हैक्टेयर कुल रकबा 5.34 हैक्टेयर की आई हुई विद्यमान है जिस आराजी में स्व. गेटाराम का हिस्सा आता है तथा बाद मृत्यु गेटाराम का विरासत नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.10.2001 को खोला जाकर बाद जांच भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ के तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 12/2025
उनवान : गीता उर्फ ओटी देवी बनाम चम्पादेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

सुमेरपुर द्वारा दिनांक 16.10.2001 को स्वीकृत किया गया जिससे स्व. गेटाराम के जायन्दा पुत्री अपीलाण्ट होते हुए भी व तमाम रेस्पोडेण्ट की यह जानकारी होते हुए भी अपीलाण्ट स्व. गेटाराम की जायन्दा पुत्री है फिर फौतेदगी विरासत का जो नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 16.10.2001 का खोला गया। उसमे अपीलाण्ट का नाम लिखने से रह गया। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 26.02.2025 को होने पर अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 16.10.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह जानकारी हुई की अपीलाण्ट का नाम स्व. गेटाराम के विरासत में जोडे जाने से रह गया जिससे अपीलाण्ट निम्न आधारो व वजुआत पर यह नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत है:–

1. यह है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा खोले गये विरासत नामान्तरकरण संख्या 738 में उत्तराधिकारी बाबत सही व माकुल जांच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 738 को स्वीकृति किये जाने में कानुनी एवं वाक्याती गलती की है। जिससे अपीलाण्ट की अपील काबिल स्वीकृति के है।
2. यह है कि सभी रेस्पोडेण्ट स्व. गेटाराम के वारिसान है व सभी वारिसानों को यह भली भांति जानकारी में है कि स्व. गेटाराम के अन्य वारिसान के अलावा अपीलाण्ट की पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकारीगण अधिनियम 1956 की धारा 8 की प्रथम अनुसूची में आती है फिर भी अपीलाण्ट का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में आने से रह गया है जैसा करने में कानुनी एवं विधिक भूल व त्रुटि की है। जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
3. यह है कि अपीलाण्ट स्व. गेटाराम की जायन्दा पुत्री है इस विषय को लेकर न केवल रेस्पोडेण्ट बल्कि जाति समाज, बिरादरी, दुनिया जानती है कि अपीलाण्ट स्व. गेटाराम की जायन्दा पुत्री है। फिर भी अपीलाण्ट का नाम विरासत में नहीं खोले जाने में कानुनी एवं विधिक भूल व त्रुटि की है। जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
4. यह है कि स्थानीय ग्राम पंचायत खिवान्दी के अभिलेख से भी यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट स्व. गेटाराम की जायन्दा पुत्री है व पुत्री होने से ग्राम पंचायत खिवांदी द्वारा दिनांक 30.01.2025 को यह प्रमाण–पत्र जारी किया कि अपीलाण्ट स्व. गेटाराम की जायन्दा पुत्री है जो कि सार्वभौमिक सत्य है फिर भी सम्पूर्ण जांच किये बिना जो फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 738 खोला गया है। उसमें अपीलाण्ट का नाम दर्ज किये जाने में कानुनी एवं वाक्याती गलती की है जिससे अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकृति के है।
5. यह है कि विरासत नामान्तरकरण संख्या 738 गेटाराम का अपीलाण्ट का नाम दर्ज किये बिना स्वीकृत किये जाने की जानकारी अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर दिनांक 26.02.2025 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये जाने से अपील अन्दर अवधिकाल पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 16.10.2001 को निरस्त व शून्य किया जाकर अपीलाण्ट का नाम गेटाराम के वारिसान व उत्तराधिकारीगण में खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 05 एवं 09 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की मूल परत तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगाय 04 व 06 लगाय 08 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 12/2025

उनवान : गीता उर्फ ओटी देवी बनाम चम्पादेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. उपरोक्त अनवान के प्रकरण में अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 16.10.2001 के विरुद्ध उपरोक्त अपील पेश कर सन् 2025 में पेश की गई है। जबकि अपीलाण्ट के पूर्ण जानकारी व ज्ञान में नामान्तरकरण रहा है।
2. यह कि अपीलाण्ट ने अपील करीब 24 वर्ष बाद में पेश की है जबकि नामान्तरकरण होने के बाद अपील पेश करने की म्याद की म्याद एक माह कानुनन निर्धारित है। अपीलाण्ट ने म्याद के बाहर अपील पेश का कारण एवं अपील के म्याद बाहर पेश करने के डिले को माफ करने की स्वीकृति बाबत भी कोई प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया है, जिस कारण अपीलाण्ट की उक्त अपील म्याद बाहर मानते हुए काबिल खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. पद संख्या 01 प्रार्थना पत्र का जवाब यह है कि अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 16.10.2001 के विरुद्ध न्यायालय में अपील दिनांक 03.03.2025 को पेश की है जो अपील अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी खिवांदी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 738 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.02.2025 के दिये जाने के पश्चात अन्दर अवधिकाल पेश की है।
2. पद संख्या 02 का जवाब है कि अपीलाण्ट के स्व. पिता गेटाजी का विरासत नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का द्वारा लिया गया है जिसकी जानकारी वर्ष 2025 के माह जनवरी में होने से अपीलाण्ट ने संबंधित ग्राम पंचायत खिवान्दी के प्रार्थना पत्र स्व. गेटाजी पुत्री होने बाबत प्राप्त किया व सम्बन्धित नामान्तरकरण की नकले होने पर जानकारी हुई थी पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण लिये जाने पर अन्य वारिस का नामान्तरकरण अंकित करते हुए अपीलाण्ट का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण लिये जाने से रह गया जो अधिकार अपीलाण्ट के विधि द्वारा प्रदत्त है। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपील नामान्तरकरण संख्या 738 की जानकारी दिनांक 26.02.2025 के होने में अन्दर अवधिकाल पेश होने से फौतेदगी नामान्तरकरण लिया जांच अपीलाण्ट का नाम छोडे जाने से जानकारी में अन्दर अवधिकाल पेश की गई है तथा जहां तक म्याद का प्रश्न है व कानुन व तथ्यों पर मिश्रित है जो हालात व स्थितियों पर निर्भर करता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट्स का प्रार्थना पत्र कानून में परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वक्त बहस काबिल अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में निवेदन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु एक माह अर्थात तीस दिवस की अवधि निर्धारित है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण के विरुद्ध लगभग 24 वर्ष के असामान्य विलम्ब के उपरान्त अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया अवधिबाधित है। यह भी, कि अपीलार्थी द्वारा उक्त विलम्ब अवधि के उपशमन हेतु पृथक से परिसीमा अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत धारा 05 में म्याद प्रार्थना पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील को अवधिबाधित होने से खारिज फरमावे।

उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अवधि की गणना Date of Knowledge से होती है तथा अपीलाधीन आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 738 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.02.2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ही हो पाई तथा उस तिथि से तीस दिवस के भीतर ही दिनांक 03.03.2025 को न्यायालय हाजा में हस्तगत अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। यह भी, कि अपील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 12/2025
उनवान : गीता उर्फ ओटी देवी बनाम चम्पादेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मीमों के पद संख्या सात में इस तथ्य का अंकन भी किया गया है एवं Date of Knowledge से निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण म्याद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सारहीन होने से खारिज फरमावे।

विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स द्वारा ज़रिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.स. हस्तगत नामान्तरकरण अपील को अवधिबाधित होने की आपत्ति प्रस्तुत की है। यह निर्विवादित तथ्य है कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 738 स्वीकृति दिनांक 16.10.2001 के विरुद्ध लगभग 23 वर्षों से भी अधिक अवधि उपरान्त हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि देरी के उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

इस संबंध में अपीलार्थीया द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.02.2025 को ही हुई तथा Date of Knowledge से तीस दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर दिए जाने से धारा 05 के अन्तर्गत म्याद प्रार्थना पत्र वांछनीय नहीं है। यह भी सत्य है कि अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के पद संख्या 07 में उक्त का अंकन किया है। किन्तु यह भी उल्लेखित है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.स. के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाब पत्र के पद संख्या दो में यह स्वीकार किया है कि जैर अपील आलोच्य विरासत नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 2025 के माह जनवरी में हुई। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपील मीमों के सलंग्न ग्राम पंचायत खिवांदी द्वारा दिनांक 30.01.2025 को जारी प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया है। अर्थात अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभाषी तथ्यों का अंकन किया गया है एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 151 सि.प्र.स. के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाबपत्र में स्वयं अपीलार्थीपक्ष द्वारा किए अंकन अनुसार आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी माह जनवरी, 2025 में हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। उक्त विलम्ब अवधि के उपशमन हेतु अपीलार्थी ने परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानान्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

विधि की स्थिति अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 के प्रावधानानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की आज्ञापक अवधि निर्धारित है एवं स्वयं अपीलार्थी के लिखित कथनानुसार आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी माह जनवरी,2025 में होने के 30 दिवस से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत की गई। उक्त विलम्ब अवधि के उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह उल्लेख करना समीचीन है कि मियाद का प्रश्न औपचारिक मात्र न होकर विशेष कानुन द्वारा अधिरोपित वैधानिक बाध्यता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान Bhanupratap singh & othr. Vs. Smt. Ghanshyam Kumari & other. [232 PRT 2015 (1)] में भी यही प्रतिपादित किया है कि " The Litigants who approach the court have to remain vigilant and the law of limitation can not be said to be a mere formality to be obsereved more in ignoring the same rather than compliance....."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो बिना ठोस आधार के देरी के उपशमन (condonation of delay) की प्रवृति पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रकरण बउनवान " Basawaraj & anr. Vs.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

Special Land Acquisition officer" (2013 DNJ (SC) 829) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "------ in case there was no sufficient cause to prevent a litigant to approach the course on time, condoning the delay without any justification, putting any condition what so ever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions and it tantamounts to showing utter disregard to the legislature."

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (बाबत् म्याद आपत्ति) अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत नामान्तरकरण अपील बेरुन मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner